



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 60879

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1133/2026

किशोर एक्स

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार त्रिपाठी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : गोरख यादव जी.ए.

न्यायालय संख्या - 84

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार त्रिपाठी, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिपक्षी संख्या 2/शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गोरख यादव को सुना गया।

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका फर्रुखाबाद स्थित माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉस्को अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पुलिस स्टेशन कामपिल, जिला फर्रुखाबाद में दर्ज मामला अपराध संख्या 144/2025 में धारा 70(2), 115(2), 351(3) बीएनएस, 5(जी)/6 पॉस्को अधिनियम तथा धारा 3(1)(डीए), 3(2)(वी) एससी/एसटी अधिनियम से उत्पन्न किशोर आपराधिक अपील संख्या 69/2025 (किशोर एन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 16.01.2026 को पारित आदेश तथा फतेहगढ़, फर्रुखाबाद स्थित माननीय किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जमानत आवेदन संख्या 2928/2025 में दिनांक 25.11.2025 को पारित आदेश को निरस्त करने के लिए दायर की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) यह स्वीकार किया जाता है कि कथित घटना की तिथि पर आवेदक लगभग 16 वर्ष, 4 महीने और 18 दिन का किशोर था; वह 1.9.2025 से जेल में है;

(ii) आवेदक को झूठा फंसाया गया है;

(iii) डीपीओ की रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियों के अलावा कोई विशिष्ट या ठोस आपत्ति नहीं उठाई गई है;

(iv) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है;

(v) मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है;

(vi) याचिकाकर्ता अनुचित रूप से लंबे समय तक बाल अवलोकन गृह में बंद रहा है;

(vii) किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के तहत आवेदक को जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

(ix) इसलिए, आक्षेपित आदेशों को त्रुटिपूर्ण और कानून के विपरीत मानते हुए चुनौती दी गई है।

राज्य के विद्वान एजीए ने इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने निवेदन किया कि बताई गई घटना सत्य है और यह कहना गलत है कि आवेदक पर लगाए गए आरोप झूठे या प्रेरित हैं। साथ ही, जमानत याचिका खारिज करने के आदेशों में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर निवेदन किया गया है कि इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया जाए।

इस बात में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक नाबालिग है और अधिनियम के प्रावधानों के लाभों का हकदार है। अधिनियम की धारा 12 के तहत, किसी नाबालिग की जमानत याचिका को अस्वीकार किया जा सकता है यदि यह मानने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि नाबालिग की रिहाई से उसका किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क होने की संभावना है या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाला जा सकता है या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या अपील न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेशों में दर्ज राय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 12

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में तीन ऐसी स्थितियाँ निर्धारित हैं जिनमें किसी नाबालिग अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। ये हैं:-

- (i) यदि रिहाई से उसका किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क होने की संभावना है, या
- (ii) उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाला जा सकता है, या
- (iii) उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

इस प्रकार, यह काफी हद तक निर्विवाद है कि घटना की तारीख को आवेदक नाबालिग था; डीपीओ की टिप्पणियों के आलोक में, आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मनोविज्ञान से ग्रस्त प्रतीत नहीं होता; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; वह अनुचित रूप से लंबे समय से हिरासत में है, क्योंकि अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित कोई भी ऐसा कारक या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने से अयोग्य ठहराए। आवेदक के पिता, आवेदक की रिहाई पर, अधिनियम की धारा 12 में व्यक्त वैधानिक चिंताओं, यानी आवेदक की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखने का वचन देते हैं।

उपरोक्त के मददेनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष जमानत देने के उद्देश्य से कानून के स्थापित सिद्धांत के विपरीत हैं और त्रुटिपूर्ण तथा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध हैं। परिणामस्वरूप, वे आदेश मान्य नहीं हो सकते और आक्षेपित आदेशों को **अपास्त** किया जाता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के मददेनजर, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। उपरोक्त मामले में अपराध के लिए **अभियोक्ता-किशोर एक्स** को उसके पिता रघुवीर (कानूनी अभिभावक) के माध्यम से 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दो जमानती पेश करने पर जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाए-

- (i) अभियोक्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को धमकाएगा नहीं;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से यह वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है;

(iii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, निचली अदालत उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए एवं बीएनएसएस की धारा 269 के तहत कार्यवाही कर सकती है।

रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वह एक सप्ताह के भीतर संबंधित बाल अवलोकन गृह को आदेश की सूचना दे।

24 मार्च, 2026

बृजेश

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।